

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- नर्सिंग/फार्मासिस्ट/ए-131/2018/

दिनांक:

:-आदेश:-

श्रीमती अनिता चौधरी, फार्मासिस्ट (परिवीक्षाधीन), खण्ड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सांभर लेक जयपुर द्वितीय का दिनांक 20.12.2016 से 29.12.2016 तक कुल 10 दिवस का असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

वित्त विभाग के आदेश संख्या F.1(2)FD(Rules)/06/Part-I दिनांक 11.06.2014 के अनुसरण में 30 दिवस से अधिक अवधि के उपरान्त उपभोग किये गये असाधारण अवकाश की सीमा तक परिवीक्षाकाल में अभिवृद्धि की जावेगी।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- नर्सिंग/फार्मासिस्ट/ए-131/2018/42

दिनांक: 18-01-2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. खण्ड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सांभर लेक जयपुर द्वितीय को उनके पत्रांक 1452 दिनांक 06.12.2018 के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश का इन्द्राज कार्मिका की सेवापुस्तिका में करना सुनिश्चित करें।
2. संबंधित कर्मचारी को द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
3. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. आदेश/रक्षित पत्रावली।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर